109/17 सरकार vs क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज सिणधरी

28.6.18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत सिणधरी चौसिरा में पेश हुई। प्रार्थी पक्ष की ओर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार (कोर्ट) सिणधरी उपस्थित। विप्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थी की ओर से आवेदन का जबाव पेश किया गया।जो शामिल मिसल हों। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी पक्ष की ओर से दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि मे दर्शित रकबा का उपयोग आमजन द्वारा आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। और मौके पर रास्ता चल रहा है। लेकिन रिकार्ड में किस्म गै.मु.जगलात दर्ज होने के कारण प्रस्तावित रकबे को राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज किया जावे। इसके विपरीत विप्रार्थी की बहस है। कि ग्राम सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 29 रकबा 580–06 बीधा किस्म गै.मु.जगलात राजस्थान राजपत्र में रक्षित वन क्षेत्र धोषित है,उक्त भूमि पर वन विभाग पिछलें 40 वर्षो से काबिज है,तथा उसमे से होकर कोई रास्ता नहीं हैं उक्त रक्षित वन क्षैत्र अन्य गतिविधि के लिए प्रतिबन्धित भूमि है। जो राजस्थान वन अधिनियम 1953,वन में (अ.)अधिनियम 1980 के तहत किसी भी गतिविधि को मान्यता नहीं देता है। इस कारण प्रस्तावित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें। **हमनें** उभयपक्ष की बहस को सुना। बहस पर मनन किया गया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि,आवेदन में दर्शित प्रस्तावित भूमि वन विभाग कार्यालय सिणधरी की खातेदारी में दर्ज है,जिसकी किस्म गै.मु. जंगलात में है,और जैसा बहस में विप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उक्त किस्म की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है,और प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य यथा–दस्तावेज पेश नहीं किया गया कि उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी में है या नहीं। ऐसी सूरत में न्यायालय प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि में रास्ता स्वीकृत नहीं कर सकता है। **लिहाजा** प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। उपखण्ड अधिकारी सिणधरी	

Scanned by CamScanner